

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400203-ए/2016

F.N. 102214/2016

संस्थापित दिनांक-26.10.2016

बादशाह शर्मा पुत्र जयराम शर्मा उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम पाली तहसील अटेर जिला भिण्ड (म०प्र०)।

..... आवेदक / वादी

वि रू द्ध

1. भरतलाल शर्मा पुत्र जयराम शर्मा उम्र 62 वर्ष,
2. दिलीप शर्मा पत्नी भरतलाल शर्मा उम्र 25 वर्ष
3. मुन्नीलाल शर्मा पुत्र जयराम शर्मा उम्र 65 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम पाली तहसील अटेर जिला भिण्ड(म०प्र०)
4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, भिण्ड।

—अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक 12.05..2017 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 3 आपस में सगे भाई हैं।
3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी का मकान हल्का बड़ेपुरा के मौजा पाली के सर्वे नम्बर 218 रकवा 2.107 शासकीय नम्बर होकर ग्राम आबादी की होकर गांव गठन की आराजी शासकीय दस्तावेज में दर्ज है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के करीब 90 साल पुराने मकान बने हुए हैं, जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने परिवार सहित निवास कर रहे हैं। वादी के पिता द्वारा तीस वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में घर बटवारा कर दिया गया था, तभी अलग अलग निवास कर रहे तथा दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वादी के मकान का निकास पूरव दिशा की ओर है तथा मकान के सामने फर्द(खाली जगह) पड़ी है, जिसमें वादी अपने पशु बांधने एवं उठने बैठने के लिये उपयोग करता है।

वादी के मकान से दक्षिण दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के अलग अलग मकान बने हुए हैं, जिनका निकास उत्तर दिशा की ओर है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मकान के बीच में एक आम रास्ता के बगल से पैतृक कुआ है, जिसे पूर्वजों द्वारा खत्म करवा दिया गया है तथा कुआ को पाट कर घर के अंदर कर लिया गया है तथा आम रास्ते की जगह को भी घर के अंदर लेकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आम रास्ता सकरा हो गया है गांव के लोग कुआ से पानी भरने से बंचित हो गये हैं। इस संबंध में वादी द्वारा दिनांक 13.11.2016 को ग्राम पंचायत सचिव को शिकायत भी की गई थी, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को बहला फुसला कर वादी के एक दरवाजे पर पशुओं का गोबर, मलमूत्र व अन्य गंदगी डाल दी है तथा दूसरे दरवाजे पर पशुओं की लिडोरी पक्का बना दी गई है। जब दरवाजे पर किये गये कब्जे एवं गंदगी फैलाने के संबंध में प्रतिवादीगण से कहा तो गाली गलोज एवं झगड़ा करने पर आमाद हो गये। प्रतिवादीगण गांव के लोगों को कहने एवं समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है। जब इस संबंध में दिनांक 12.11.2016 को कलेक्टर को शिकायती आवेदन पेश किया गया, तो कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत सचिव को कार्यवाही करने के लिये कहा गया, तो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में होने से अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार कर मामले के निराकरण तक प्रतिवादीगण को दरवाजे से गंदगी डालने एवं पशु बांधने से निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में वादी बादशाह शर्मा की ओर से स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

4. प्रतिवादीगण ने लिखित कथन एवं आवेदन के जवाब में व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मकान अलग अलग हैं तथा पृथक पृथक निवास करते हैं एवं पिता के जीवनकाल में बटवारा हो गया है। वादग्रस्त जगह प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के स्वत्व की जगह है तथा निकास भी वादग्रस्त जगह से होकर है। जहां तक पैतृक कुआ का प्रश्न है, तो उसमें पानी खत्म हो जाने से पूर्वजों द्वारा समाप्त कर दिया गया था तथा कुआ वाली जगह बटवारे में प्रतिवादी क्रमांक 3 को दी गई थी, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा अपना मकान बना लिया गया है तथा कुआ अंधा होने से हादसे के डर से उसको पटवा कर बंद कर दिया गया है। वादग्रस्त जगह प्रतिवादी क्रमांक 1 को बटवारे में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण ने आम रास्ते पर मकान के सामने चबूतरा बनाया गया है। वादी के लड़के फौज में होने से उनकी धमकी देते हैं। पक्की लिडोरी भी पिता के जीवनकाल से बनी हुई है, नवीन लिडोरी का निर्माण नहीं कराया गया है। वादी द्वारा जो मानचित्र पेश किया गया है, वह गलत तथ्यों को दर्शाते हुए पेश किया गया है तथा मौके की स्थिति तथा मानचित्र के विपरीत है। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में न होने से उसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को आर्थिक/अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. वाद पत्र के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादग्रस्त जगह वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की जगह है, जबकि प्रतिवादीगण ने अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन में वादग्रस्त जगह को स्वयं की जगह होना बताया है। इस प्रकार उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन परस्पर विरोधाभासी होने से उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

6. यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा वाद पत्र के अभिवचन में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है कि वादग्रस्त जगह की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना है।

7. वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंचनामा तथा कलेक्टर भिण्ड थाना प्रभारी फूप, पंचायत नरीपुरा को की गई शिकायत तथा ठहराव प्रस्ताव की प्रतियां अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं। वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त जगह किसके स्वामित्व व आधिपत्य की जगह है तथा उसका क्षेत्रफल कितना है, जबकि यह वाद स्वत्व घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी के द्वारा संपूर्ण अभिवचन में यह भी अभिवचन नहीं किया है कि उसके वादग्रस्त जगह पर स्वत्व का स्रोत क्या है।

8. अतः उपरोक्त परिस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त जगह वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

9. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है तथा वादग्रस्त जगह वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना को भी वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

10. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 12.05.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)